Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सुखाराम बनाम गायत्री वगै.

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा...78... /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2023	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री रामकरण मूण्ड द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रकरण में वाद–पत्र पूर्व में दर्ज हैं। अप्रार्थीगण को रजि. एडी. जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण मौजा रोही ढाणी छिपलाई के खसरा नम्बर 113 मे तादादी 5.2200 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि से प्रार्थी को बेदखल नही करें एवं प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि में दखलदांजी नही करें । मौका एवं रिकॅार्ड की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 10.07.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	जारी 7/9 08/06/23
10/07/23	पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश। अन्य कार्य में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 16/8/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
16/08/23	पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश। अन्य कार्य में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 23/08/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
23/08/23	पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगवाई गई। बार-बार आवाजें लगवाए जाने के बावजूद पक्षकार उपस्थित नहीं जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की रुचि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTA इसी स्टेज पर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमित में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर (मुहर)